भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 133

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

अंतर्राज्यीय कामगारों का डाटाबेस

133. श्री सुब्बारायण के.
श्री सेल्वाराज वी.

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों का डाटाबेस है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार का देश में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों का डाटाबेस तैयार करने का विचार है;
(ग) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने प्रवासी कामगारों को स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि इसमें शामिल किए गए प्रवासी कामगारों का प्रतिशत क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इसपर प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार से सहबद्ध असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाना है। दिनांक 16.07.2024 की स्थिति के अनुसार, इस पोर्टल पर प्रवासी कामगारों सहित 29.79 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया गया है और जिन्हें ई-श्रम कार्ड जारी किए गए हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 लागू किया गया है। इस अधिनियम में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को रोजगार देने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक वस्त्र आदि प्रदान किए जाते हैं।

*****